भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2485
13 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कर

2485. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 द्वारा अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) पर उच्च कर लगाने की सिफारिश के मद्देनज़र, मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से उत्पाद पुनर्संरचना, उत्पाद विविधीकरण और स्वास्थ्यकर प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रहा है;
(ख) क्या मंत्रालय ने पीएम पोषण योजना जैसे कार्यक्रमों के लिए फलों, श्रीअन्न, दालों तथा प्रोटीन-समृद्ध खाद्य पदार्थों की पोषण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने हेतु किसी अधिभार अथवा "स्वास्थ्य/पोषण-आधारित कर" से प्राप्त राजस्व प्रस्तावित किया है; और
(ग) विनियामकीय चूक अथवा " पोषक तत्वों के आड़" (न्यूट्रिएंट कैमोफ्लाज) को रोकने के लिए क्या दिशानिर्देश बनाए गए हैं तथा एमएसएमई के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अत्यधिक अनुपालन बोझ के बिना अधिक स्वास्थ्यकर उत्पादों की ओर संक्रमण के लिए क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) की खपत को हतोत्साहित करने के उपायों में से एक के रूप में उन पर उच्च कराधान लागू करने की संभावना पर प्रकाश डाला गया है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) विभिन्न पहलों और योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत , एमओएफपीआई खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, अपव्यय को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना है। योजनाओं के माध्यम से निर्मित अवसंरचना उत्पाद विविधीकरण और खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक प्रसंस्करण में भी सहायक होती है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने कोई अधिभार या "स्वास्थ्य/पोषक तत्व आधारित कर" प्रस्तावित नहीं किया है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, जिनमें यूपीएफ भी शामिल हैं, के बारे में जनता की समझ को बढ़ावा देने और सूचित विकल्प चुनने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट संकलित किया है। एमओएफपीआई वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन करता है, जो एमएसएमई सहित उद्योगों को पौध आधारित प्रोटीन, मिलेट उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां जैसे नवीन उत्पादों को प्रदर्शित और बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
